

## जयपुर में गैस रिसाव को लेकर NGT ने नोटिस जारी किया

### चर्चा में क्यों?

**राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT)** ने **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** और जयपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट को **जयपुर में संदग्ध गैस रिसाव** के बाद कई छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले में उत्तर देने का निर्देश दिया है।

### मुख्य बिंदु

- **घटना:**
  - NGT ने जयपुर में संदग्ध गैस रिसाव की घटना पर **सूचना: संज्ञान** लिया।
    - 15 दिसंबर, 2024 को महेश नगर इलाके में घटी इस घटना में **एक कोचिंग संस्थान के 10 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, जब वे पास के नाले से रिसाव के कारण बेहोश हो गए थे।**
- **न्यायाधिकरण की टिप्पणियाँ:**
  - न्यायाधिकरण ने कहा कि रिपोर्ट में **पीड़ितों के लिये किसी मुआवज़े का उल्लेख नहीं किया गया था।**
  - पीठ ने **सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991** और **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986** के अनुपालन से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।
  - **प्रतिवादी को नोटिस जारी कर** उन्हें अपना उत्तर या प्रत्युत्तर दाखल करने का निर्देश दिया गया।
  - न्यायाधिकरण ने **नमिनलखित पक्षों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया:**
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के **सदस्य सचिव**
  - जयपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट
    - **केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** का क्षेत्रीय कार्यालय
    - **जलवायु परिवर्तन**

### केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन **वर्ष 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था।
- **CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अंतर्गत शक्तियाँ एवं कार्य भी निर्दिष्ट किये गए।
- यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।